न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 48/2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. रामचन्द्र पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई निवासी रावला हाल 26 बीडीए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. असला देवी उर्फ आसो पुत्री हेतराम पत्नी जीतराम जाति बिश्नोई निवासी 2 टी के हाल 11 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. सुनीता पुत्री हेतराम पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी 2 टी.के. हाल 26 बीडीए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र हेतराम
2. शारदा देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार
3. कुलदीप कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार
4. विजयपाल पुत्र ओमप्रकाश
5. सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश
6. ओमप्रकाश पुत्र हेतराम
7. तुलसीदेवी पत्नी हेतराम

} जाति बिश्नोई निवासीयान गांव 2 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

8. उप तहसीलदार मुकलावा जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1. श्री तेजा सिंह संधू अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री इन्द्रजीत बिश्नोई अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: आदेश :: **दिनांक :– 29.10.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ अदालत में रेस्पोडेन्ट सख्या 01 द्वारा आवेदन–पत्र दिया गया कि दिनांक 07.03.2018 को वसीयत हेतराम द्वारा हमारे हक में की गयी है, जिसके आधार पर इंतकाल दर्ज किया जावे तो अधीनस्थ अदालत ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये इंतकाल दर्ज करने का आदेश दे दिया जो विधि विरूद्व होने के कारण काबिले निरस्ती है। वादग्रस्त भूमि 2 टी.के. तहसील रायसिंहनगर पत्थर नम्बर 168/300 मुरब्बा नम्बर 50 की 3.036 हैक्टर व पत्थर नम्बर 169/300 मुरब्बा नम्बर 51 की 3.163 हैक्टर व पत्थर नम्बर 172/303 मुरब्बा नम्बर 70 की 5.820 हैक्टर कुल 12.019 हैक्टर खातेदारी भूमि थी। हेतराम द्वारा उक्त भूमि के बारे में पूर्व में दिनांक 06.08.2012 को अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) के बन्द वसीयत करवा दी थी उसके बाद उक्त तथाकथित वसीयत दिनांक 07.03.2018 प्रतिवादीगण द्वारा साजिश रचकर तैयार की गयी है जिसको पढवाने के बाद एटेस्टेड नहीं करवाया गया है और उसके बाद साजिश कर इसको उप पंजीयक से तस्दीक करवा ली है जबकि उस समय हेतराम स्वस्थचित में नहीं था पूर्ण होश में नहीं था और अन्तिम समय में सुदबुघ भूल चुका था इसका फायदा उठाते हुए वसीयत तैयार करवायी गयी थी जो वादी के हितो पर बेअसर है। अधीनस्थ न्यायालय का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आदेश एकतरफा है। अपीललांटान को कोई नोटिस नहीं दिया। इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्ती है। अपीलांटान द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में इंतकाकल दर्ज होने के अन्देशो से एतराज भी 25.07.2018 को पेश कर दिया थे लेकिन उन एतराजों को बिना कन्सीड्रेशन किये दिनांक 27.07.2018 को पटवारी को इंतकाल दर्ज करने का आदेश दे दिया। अप्रार्थी द्वारा वसीयत पेश की गयी थी उसमें सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया जाना चाहिये था उसके बाद अखबार में साया करवाया जाना चाहिए था उसके बाद सभी वारिसान के ब्यान लिये जाने चाहिये थे उसके बाद ही इंतकाल तस्दीक करने के आदेश दिये जा सकते थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आदेश पारित किया है, जो काबिले निरस्ती है। वादग्रस्त भूमि हेतराम को विरास्तन प्राप्त हुई थी जो जदी जायदाद थी वसीयत करने का उसे कोई अधिकार नहीं था। विवादग्रस्त भूमि हेतराम ने अपने जीवनकाल में ही सभी वारिसान को बांटकर दे दी थी। सभी वारिसान अपने हिस्से अनुसार काबिज है जब जीवनकाल में ही भूमि बांटकर दे दी थी तो वसीयत करने का अधिकार हासिल नहीं था। इसलिए आदेश अधीनस्थ न्यायालय काबिले निरस्ती है। अतः अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 27.07.2018 निरस्त फरमाकर विरास्तन इंतकाल दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि अधीनस्थ अदालत में रेस्पोडेन्ट सख्या 01 द्वारा आवेदन–पत्र दिया गया कि दिनांक 07.03.2018 को वसीयत हेतराम द्वारा हमारे हक में की गयी है, जिसके आधार पर इंतकाल दर्ज किया जावे तो अधीनस्थ अदालत ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये इंतकाल दर्ज करने का आदेश दे दिया जो विधि विरूद्व होने के कारण काबिले निरस्ती है। वादग्रस्त भूमि 2 टी.के. तहसील रायसिंहनगर पत्थर नम्बर 168/300 मुरब्बा नम्बर 50 की 3.036 हैक्टर व पत्थर नम्बर 169/300 मुरब्बा नम्बर 51 की 3.163 हैक्टर व पत्थर नम्बर 172/303 मुरब्बा नम्बर 70 की 5.820 हैक्टर कुल 12.019 हैक्टर खातेदारी भूमि थी। हेतराम द्वारा उक्त भूमि के बारे में पूर्व में दिनांक 06.08.2012 को अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) के बन्द वसीयत करवा दी थी उसके बाद उक्त तथाकथित वसीयत दिनांक 07.03.2018 प्रतिवादीगण द्वारा साजिश रचकर तैयार की गयी है जिसको पढवाने के बाद एटेस्टेड नहीं करवाया गया है और उसके बाद साजिश कर इसको उप पंजीयक से तस्दीक करवा ली है जबकि उस समय हेतराम स्वस्थचित में नहीं था पूर्ण होश में नहीं था और अन्तिम समय में सुदबुध भूल चुका था इसका फायदा उठाते हुए वसीयत तैयार करवायी गयी थी जो वादी के हितो पर बेअसर है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एकतरफा है। अपीललांटान को कोई नोटिस नहीं दिया। इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्ती है। अपीलांटान द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में इंतकाकल दर्ज होने के अन्देशो से एतराज भी 25.07.2018 को पेश कर दिया थे लेकिन उन एतराजों को बिना कन्सीड्रेशन किये दिनांक 27.07.2018 को पटवारी को इंतकाल दर्ज करने का आदेश दे दिया जो विधि के विरूद्व होने के कारण काबिले निरस्ती है। अप्रार्थी द्वारा वसीयत पेश की गयी थी उसमें सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया जाना चाहिये था उसके बाद अखबार में साया करवाया जाना चाहिए था

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उसके बाद सभी वारिसान के ब्यान लिये जाने चाहिये थे उसके बाद ही इंतकाल तस्दीक करने के आदेश दिये जा सकते थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आदेश पारित किया है, जो काबिले निरस्ती है। वादग्रस्त भूमि हेतराम को विरास्तन प्राप्त हुई थी जो जदी जायदाद थी वसीयत करने का उसे कोई अधिकार नहीं था। विवादग्रस्त भूमि हेतराम ने अपने जीवनकाल में ही सभी वारिसान को बांटकर दे दी थी। सभी वारिसान अपने हिस्से अनुसार काबिज है जब जीवनकाल में ही भूमि बांटकर दे दी थी तो वसीयत करने का अधिकार हासिल नहीं था। इसलिए आदेश अधीनस्थ न्यायालय काबिले निरस्ती है। अपीलांट के हक में 2012 की वसीयत है जिसमें वारिसान को बराबर–बराबर हिस्से के अनुसार वसीयत की है लेकिन उसके बाद 2018 में रेस्पोडेन्ट ने दबाव देकर और बहकावे में आकर वसीयत अपने नाम करवायी है जबकि स्वस्थचित से सभी के नाम 2012 में वसीयत की थी उसके बाद 2018 में की है। ऐसी सूरत में अदालतवाला के समक्ष दो वसीयते है दोनो ही एडीएम श्रीगंगानगर के पेश हुई है। इंतकाल के मामलों में किसी को अधिकार प्राप्त नहीं होते यह फिजीकल इन्कवायरी है यदि किसी के हक में कोई गोदनामा या वसीयत होती है तो उसको दावा करके अधिकारों की घोषणा करवानी पडती है। इसलिए यदि रेस्पोडेन्ट कहता है कि मेरे हक में रजिस्टर्ड वसीयत है तो उसको अपने अधिकार तय करने के लिए सिविल कोर्ट में जाना पडेगा। इसके लिए निम्न सिद्वान्त राजस्व मण्डल ने प्रतिपादित किया है–

1992 आर.आर.डी. पेज 360 पार्ट–ए

A. Rajasthan Land Revenue (Land Records) 1957,133(C) Mutation cannot be refused because it is claimed that the alienor had no right by custom or statute to make such alienation-In mutataion proceedings which are fiscal in naturae, an elaborate enquiry cannot be made about the custom of adoption or the consent of other heirs to the will - Any party which is dis-satisfied with the order of mutation can file a regular suit (Paras 10 & 11)

2012 आर.आर.डी. पेज– 765

Rajasthan Land Revenue Act, Section 135- Appeal against order of Addl. Commissioner-Held, after the death of Khatedar 'R' mutation No.392 was attested in the name of present petitioner on the basis of unregd. will-First appellate court after hearing both the parties remaned the case to Tehsildar of redecision-Second appellatae court raejecterd the appeal till decision the pending suit with direction not to mortgage and transfer the disputed land by sale-Order of pending suit will be applicable to the mutation-Mutation proceedings are fiscal in naturae in which matter relating to will and adoption cannot be decided- There is no liiegality or irregularity in the order of subscordinate court- Order of Addl Commissioner, confirmed (Para 6 to 8)

2018 आर.आर.डी. पेज– 509 उच्च न्यायालय, जोधपुर

Rajasthan Land Revenue Act, Section 135- Mutation proceedings - Registrered adoption deed- Mutation proceedings are fiscal proceedings and the adoption deed cannot be questioned-Aggrieved party can file the suit. (Para12)

प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन–पत्र भी 25.06.2018 को दिया उसके बाद 25.07.2018 को दिया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कोई तारीख निश्चित नहीं दी। अपीलांटा को जवाब पेश करने का कोई मौका नहीं दिया। अपीलांट के आवेदन–पत्र मिसल में लगे हुए है। अपीलांट को बिना सुने ही निर्णय कर दिया है जो काबिले निरस्ती है। अतः अपीलांटान की ओर से लिखित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

बहस पेश करके अर्ज है कि अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट को समक्ष न्यायालय से अधिकारों की घोषणा करवाने के निर्देश दिये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि अपीलांटस ने मौजूदा अपील गलत तथ्यों पर पेश कर तथा गलत स्थगन प्रार्थना –पत्र पेश कर यकतरफा तौर पर स्थगन आदेश जारी करवाया है जबकि मौजूदा अपील निम्नलिखित कानूनी बिन्दुओं पर खारिज करने तथा स्थगन आदेश निरस्त करने योग्य है:–

(क) जिस वसीयत के आधार पर इंतकाल जेर अपील किया गया, वह भूमि कालांतर में मु.न. 50,51 व 70 के रूप में हेतराम के नाम अलाटशुदा होने के कारण खातेदारी दर्ज है, जैसा कि पासबुक की नकल जो शामिल हाजा से स्पष्ट है, आवंटन के समय जो कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.08.1952 को मु.न. 55 व 54 के रूप में हेतराम पुत्र लाखाराम को अलाट किया गया, अलाटमेंट आदेश की नकल शामिल है तथा हेतराम ही काबिज चला आया, खातेदारी सनद भी दिनांक 13.11.1978 को मु.न. 79(70) की हेतराम के नाम ही जारी की गई, जिसकी नकल शामिल है, जिसमें आवंटन आदेश दिनांक 09.07.1970 होना अंकित किया गया है, हेतराम ने ही राशि जमा करवायी, चालान की नकलें शामिल है तथा हेतराम ही भूमि को काश्त करता रहा, गिरदावरी की नकलों से स्पष्ट है। इस प्रकार आराजी जेर बहस जिसका इंतकाल किया गया, वह वास्तव में जद्दी जायदाद ना होकर हेतराम की स्वअर्जितशुदा अर्थात् अलाटशुदा भूमि होने से हेतराम वसीयत करने में पूर्ण रूप से सक्षम था, अतः अपीलांटस ने जानबूझकर जद्दी जायदाद होने का कथन किया है तथा अपील की मद संख्या 07 में हेतराम को विरासतन प्राप्त होने व जद्दी जायदाद होने का गलत कथन किया गया है जबकि वास्तव में अपीलांटस का हेतराम की स्वअर्जित भूमि में कानूनन कोई हक व हिस्सा ही नहीं बनता है। अतः अपीलांटस ने तथ्यों को छुपाया है तथा कलीन हैंड से न्यायालय के सामने नहीं आए। अतः अपील इसी स्टेज पर ही खारिज करने योग्य है।

(ख) श्रीमान न्यायालय को जिस कृषि भूमि की वसीयत की गई व वसीयत के आधार पर इंतकाल किया गया, उसके सम्बन्ध में कानूनन कोई निर्णय ही नहीं करना है बल्कि केवलमात्र इंतकाल की वैधता को ही देखना है। इंतकाल रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर किया गया , वसीयत की नकल शामिल है तथा यह वसीयत जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर (श्रीमान न्यायालय द्वारा) तस्दीक की गई है, इस प्रकार अपीलांटस को अपील करने का कोई लोकोस्टेन्डाई ही हासिल नहीं है। अतः अपील इसी स्टेज पर खारिज करने योग्य है क्योंकि इंतकाल सही तौर पर किया गया है, अपीलांटस किसी प्रकार से ना तो प्रभावित पक्षकार थे तथा ना ही उनको सुनने का कोई प्रश्न ही था।

(ग) पंजीयक तस्दीक रजिस्ट्रार के समक्ष हेतराम को पूर्ण स्वास्थचित होने के दशा में वसीयत करवाई गई उस समय हेतराम स्वास्थचित सुदबुद में था यह प्रतिवादी के हितो पर बेअसर है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधि के विपरीत नहीं है।

(घ) अधीनस्थ न्यायालय के आदेश द्वारा अखबार में नोटिस के जरिये सुचना दी गई थी इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत नहीं है और यह निरस्त करने योग्य नहीं है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

(ड) अपीलांटस अपने आपको प्रभावित व्यक्ति बताते है जो कि स्वीकार नहीं है, तो भी अपीलांटस ने अपील पेश करने से पूर्व धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया, इस प्रकार भी अपील खारिज करने योग्य है।

(च) इंतकाल में दर्ज आराजी का कब्जा रेस्पोडेंट के पास है, अपीलांटस का किसी भूमि पर कब्जा ही नहीं है। इस प्रकार गलत तथ्य अंकित कर यकतरफा तौर पर स्थगन आदेश जारी करवाया गया है, अतः स्थगन आदेश भी इसी स्टेज पर खारिज करने योग्य है, क्योंकि रेस्पोडेंट रिकॉर्डेड खातेदार है तथा भूमि पर मौजूदा फसल उन्ही की काश्त की हुई है, अपीलांट गलत स्टे की आड में रेस्पोडेंट को तंग परेशान करने व जबरन बेदखल करने के प्रयास में है, इस प्रकार स्थगन आदेश भी इसी स्टेज पर खारिज करने योग्य है।

2.जिस वसीयत के आधार पर इंतकाल जेर अपील किया गया है, वह वसीयत आज तक किसी सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं हुई, इस प्रकार सर्वप्रथम अपीलांट सक्षम न्यायालय से अपने अधिकारों की घोषणा करवाये, उसके उपरांत ही कानूनन अपील कर सकते थे, अपीलांटस जिस तथाकथित वसीयत दिनांक 06.08.2012 को हेतराम द्वारा स्वयं श्रीमानजी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित प्रार्थना पत्र देकर निरस्त करवाया गया है जो रिकॉर्ड पर है उसके उपरान्त ही मनोस्थिति सही व बिना किसी दबाव के पूर्ण होसोहवास में वसीयत करवाई गई है, जो वसीयत करता के मरने तक जो प्रभावी है। अतः अपीलांटस का अराजी जेर बहस में कोई हक नाक होने के कारण अपील चलने योग्य नहीं है। लिहाजा प्रारम्भिक व कानूनी ऐतराजात तथा जवाब स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश करके अर्ज है कि अपील मय स्थगन आदेश इसी स्टेज पर खारिज करने का आदेश फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि नायब तहसीलदार मुकलावा के आदेश दिनांक 27.07.2018 से जो अपीलाधीन इन्तकाल तस्दीक किया गया वह विधिसम्मत् है क्योंकि नायब तहसीलदार मुकलावा द्वारा वसीयत के आधार पर हेतराम के नाम अलाटशुदा होने के कारण खातेदारी दर्ज है, आवंटन के समय जो कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.08.1952 को मु.न. 55 व 54 के रूप में हेतराम पुत्र लाखाराम को अलाट किया गया, तथा खातेदारी सनद भी दिनांक 13.11.1978 को मु.न. 79(70) की हेतराम के नाम ही जारी की गई, आवंटन आदेश दिनांक 09.07.1970 होना अंकित किया गया है। हेतराम ही भूमि को काश्त करता रहा, गिरदावरी की नकलों से स्पष्ट है। इस प्रकार आराजी जेर बहस जिसका इंतकाल किया गया, वह वास्तव में जद्दी जायदाद ना होकर हेतराम की स्वअर्जितशुदा अर्थात् अलाटशुदा भूमि होने से हेतराम वसीयत करने में पूर्ण रूप से सक्षम था। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर उप तहसीलदार मुकलावा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2018 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति उप तहसीलदार मुकलावा को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 29.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/X/18

(नखतदान बारहठ)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर